Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

133-2026/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 31, 2026 (BHADRA 9, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 31st August, 2026

No. 24-HLA of 2026/109 /14833.— The Haryana Right to Business Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 24- HLA of 2026

A

Bill

to provide ease of doing business for the eligible enterprise through an enabling co-system for self-declaration, exemption, speedier approval, inspection, to establish and operate in the State of Haryana and matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Right to Business Act, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "approval" means acknowledgment, no objection certificate, consent, registration, permission, license and such other similar instrument by whatever name called, required under any State law with regard to the establishment or operation of an eligible enterprise which is a manufacturing unit, whether new or existing which is undertaking expansion and shall include deemed approval or certificate of in-principle approval;

(b) "certificate of in-principle approval" means an approval granted by the District Nodal Agency under section 9;

(c) "competent authority" means any department or agency of the State Government or a local authority, statutory body, corporation or board, urban development authority or any other authority or agency constituted or established by any State law or is under administrative control of the State Government which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for the establishment or operation of an enterprise in the State;

(d) "declaration of intent" means submission of relevant documents and requisite information by an eligible enterprise under any State law for the purposes of availing benefit under this Act;

(e) "deemed approval" means an approval deemed to have been given on the expiry of a period specified under section 9 of this Act;

(f) "eligible enterprise" means a Micro, Small and Medium Enterprise (hereinafter referred as MSME) which is a manufacturing unit, whether new or existing which is undertaking expansion and is registered on the Udyam portal of the Government of India;

(g) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(h) "moratorium period" shall means the period of thirty-six months from the date of issuance of the certificate of in-principle approval during which no inspection shall be conducted nor any coercive measure shall be taken against an eligible enterprise;

(i) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(j) "Schedule" means the Schedule appended to this Act;

(k) "State" means the State of Haryana;

(l) "State Government" means the Government of the State of Haryana.

State Nodal Agency.

3. The Empowered Executive Committee constituted under section 4 of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 (6 of 2016) shall be the State Nodal Agency for the purposes of this Act.

District Nodal Agency.

4. The District Level Clearance Committee constituted under section 8 of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 (6 of 2016) shall be the District Nodal Agency for the purposes of this Act and shall work under the overall superintendence, direction and control of the State Nodal Agency.

Power and functions of State Nodal Agency.

5. The State Nodal Agency shall have the following powers and shall perform the following functions, namely: -

(a) to monitor, supervise and review the overall functioning of the District Nodal Agency;

(b) to coordinate and liaise with the competent authority;

(c) to take decision on the appeal filed under section 13;

(d) to ensure time bound redressal of grievances;

(e) any other powers and functions, as assigned to it by the Government.

Powers and functions of District Nodal Agency.

6. The District Nodal Agency shall have the following powers and shall perform the following functions, namely: -

(a) to examine and process the declaration of intent, irrespective of the investment;

(b) to issue the certificate of in-principle approval within the stipulated period;

(c) to maintain record of declaration of intent, certificate of in-principle approval and deemed approval issued to the eligible enterprise;

(d) to ensure time bound redressal of grievances;

(e) to coordinate and liaise with the State Nodal Agency and the competent authority for effective implementation of the provisions of this Act;

(f) to suo motu monitor eligible enterprise who has been granted certificate of in-principle approval and take appropriate action in accordance with the provisions of this Act;

(g) any other powers and functions as assigned to it by the Government.

Declaration of intent.

7. An eligible enterprise intending to establish or expand its business in the State, shall furnish to the District Nodal Agency a declaration of intent, in such form and manner alongwith such fee, as may be prescribed for issuance of certificate of in-principle approval.

Certificate of in-principle approval.

8. (1) A certificate of in-principle approval may be issued to an eligible enterprise on receipt of a declaration of intent, in such form and manner, as may be prescribed.

(2) The requirement of obtaining a certificate of in-principle approval shall be optional and an eligible enterprise may choose to avail regular approval from the concerned competent authority at any point of time.

(3) A certificate of in-principle approval shall not entitle an eligible enterprise to use land or a portion thereof, in deviation of the land use or any stipulations specified under any State law governing land use.

Issuance of certificate of in-principle approval and deemed approval.

9. (1) The District Nodal Agency shall, upon receipt of a declaration of intent, issue a certificate of in-principle approval or reject the declaration of intent within fifteen working days, in such manner, as may be prescribed.

(2) In case the certificate of in-principle approval is not granted within the stipulated period, the same shall be forwarded to the Deputy Chief Executive Officer of the Haryana Enterprises Promotion Centre in such manner, as may be prescribed.

(3) The Deputy Chief Executive Officer of the Haryana Enterprises Promotion Centre may approve or reject the declaration of intent within a period of ten days, failing which, the same shall be deemed to be approved and the certificate of in-principle approval shall be issued by the District Nodal Agency within three days from the date of deemed approval.

Inspection during moratorium period.

10. (1) Notwithstanding anything contained in any other State law, an inspection during the moratorium period may be undertaken upon receipt of a complaint, in such manner, as may be prescribed:

Provided that such inspection shall be ordered only by the Head of the concerned competent authority and be conducted by an officer not below the rank of Joint Director, upon recording reasons in writing, with prior intimation of such inspection to the Chairman of the District Nodal Agency.

(2) The Head of the concerned competent authority may suo motu for reasons to be recorded in writing, order an inspection to be conducted in cases of land use violations, unauthorized construction or issues relating to public safety, structural integrity or fire safety.

(3) The inspection report shall be made available online to the eligible enterprise and the concerned competent authority within forty-eight hours after the inspection and the concerned competent authority shall initiate appropriate action as per the applicable law.

Requisite approval.

11. During the moratorium period, an eligible enterprise shall initiate the process of obtaining all requisite approvals from the concerned competent authority mandatorily through the Invest Haryana Single Window Portal of the Haryana Enterprises Promotion Centre:

Provided that an eligible enterprise shall within the last six months preceding the expiry of the said moratorium period ensure that all pending approvals have been obtained.

Contravention, violation and penalty.

12. (1) In case of submission of any false or fraudulent information or misrepresentation of facts in the declaration of intent or violation of any provisions of this Act or rules made thereunder, the District Nodal Agency may revoke the certificate of in-principle approval after giving an opportunity of being heard to the eligible enterprise.

(2) In case of violation of any of the provisions of applicable law with respect to the approval, the concerned competent authority may impose penalty upon the eligible enterprise as per the applicable law.

(3) Where an eligible enterprise fails to obtain the requisite approval from the concerned competent authority within the moratorium period, the concerned competent authority shall, upon the expiry of such moratorium period, initiate such action, including coercive measures, against such eligible enterprise in accordance with the provisions of the applicable law.

Appeal.

13. (1) An eligible enterprise aggrieved by an order of rejection passed under sub-section (1) of section 9 may prefer an appeal before the State Nodal Agency within a period of thirty days from the date of rejection of declaration of intent:

Provided that the State Nodal Agency may entertain an appeal after the expiry of such period if it is satisfied that there were sufficient reasons for not filing it within that period.

(2) An eligible enterprise aggrieved by an order of rejection passed under sub-section (3) of section 9 may prefer an appeal before the Chief Executive Officer of the Haryana Enterprises Promotion Centre within a period of thirty days from the date of rejection of declaration of intent:

Provided that the Chief Executive Officer of the Haryana Enterprises Promotion Centre may entertain an appeal after the expiry of such period if it is satisfied that there were sufficient reasons for not filing it within that period.

Grievance Redressal.

14. (1) Subject to the action taken in pursuance of the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 10, if an eligible enterprise having a valid certificate of in-principle approval under this Act is aggrieved by an action initiated during the moratorium period, an eligible enterprise may file an application for redressal of grievance before the District Nodal Agency, in such manner, as may be prescribed. The District Nodal Agency shall resolve such grievance within a period of thirty days.

(2) If the District Nodal Agency fails to resolve the grievance or is unable to take appropriate action under sub-section (1) within the stipulated period, the grievance shall be forwarded to the State Nodal Agency, in such manner, as may be prescribed.

(3) The State Nodal Agency shall decide the grievance within a period of fifteen days.

List of approval.

15. The list of approval for the purposes of this Act and the concerned competent authority for such approval shall be as specified in the Schedule.

Power to amend Schedule.

16. The Government may, by notification, add to or alter or amend the Schedule appended to this Act.

Protection of action taken in good faith.

17. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Nodal Agency, District Nodal Agency, competent authority or any officer performing functions under this Act or any official acting under the directions of such officer, for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

Public servant.

18. All officers/officials acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or any rule made thereunder shall be deemed to be public servant within the meaning of clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023).

Overriding effect.

19. Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law, the provisions of this Act shall have an overriding effect.

Power to remove difficulties.

20. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the State Legislature.

Power to make rules.

21. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made, be laid before the State Legislature.

SCHEDULE

(see section 15 and 16)

List of Approvals

Serial number	Competent Authority	Approvals
1.	Town and Country Planning Department	(i) Change of land use in industrial zone (ii) NOC for establishment of unit under urban area act (iii) NOC for unit falling outside controlled/urban area (iv) Building plan approval (for all low-risk industries)
2.	Urban Local Bodies Department	(i) Change of land use in industrial area within municipal limit (ii) Approval of building plan (for all low-risk industries)
3.	Fire Department	(h) Fire Fighting Scheme for White and Green category Industries (for all low-risk industries) (ii) NOC for Fire Service (for all low-risk industries)
4.	Haryana State Pollution Control Board	(i) Consent for establishment under the Water (Prevention And Control Of Pollution) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974) and the Consent for establishment under the Air (Prevention And Control Of Pollution) Act, 1981 (Central Act 14 of 1981) (for all White and Green Category Industries and additionally Orange Category Industries inside Industrial Area) (j) Consent to operate under the Water (Prevention And Control Of Pollution) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974) and the Air (Prevention And Control Of Pollution) Act, 1981 (Central Act 14 of 1981) (for all White and Green Category Industries and additionally Orange Category Industries inside Industrial Area)
5.	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.	(i) Building plan approval (for all low-risk industries) (ii) Issue of plinth level certificate
6.	Labour Department	(i) Shop registration under the Haryana Shops and Commercial Establishment Act, 1958 (Punjab Act 15 of 1958).

STATEMENT OF OBJECTS & REASONS

The existing regulatory framework governing the establishment and operation of business enterprises in Haryana requires entrepreneurs to obtain multiple approvals, licences and registrations from various government authorities before commencing operations. Such approvals are often processed sequentially by different State agencies resulting in prolonged delays and significant procedural burdens for businesses, particularly for micro, small and medium enterprises (MSMEs), which generally possess limited financial and administrative resources.

The requirement to secure all statutory approvals prior to establishment has constrained industrial development, entrepreneurship and innovation in the State. In order to address these challenges, it is proposed to introduce a facilitative framework based on the principle of a "Right to Business", which seeks to promote ease of doing business by reducing unnecessary procedural delays while ensuring adherence to applicable laws, regulatory standards and public safety requirements.

The Haryana Right to Business Bill, 2026 seeks to provide for a system of time-bound, in-principle pre-establishment approvals that would permit eligible enterprises to undertake business activities, subject to prescribed conditions, while substantive approvals are processed in parallel.

The Haryana Right to Business Bill, 2026 aims to achieve the following objectives:

1. **Promoting "Ease of Doing Business" by reducing procedural burden**

   The Bill is aligned with the Government's overarching vision of "Minimum Government, Maximum Governance" and seeks to foster an investor-friendly regulatory environment that promotes entrepreneurship and facilitates Ease of Doing Business. It proposes a framework for granting one-time in-principle pre-establishment approvals, licences, and No Objection Certificates (NOCs) to eligible enterprises (manufacturing MSMEs that are new or expanding), enabling them to commence operations expeditiously while remaining compliant with applicable statutory provisions.

   At present, the regulatory ecosystem presents significant entry barriers for new enterprises due to a fragmented, multi-agency approval process requiring entrepreneurs to secure numerous clearances and licences before establishing a business. To address these challenges, the Bill introduces a streamlined mechanism of in-principle pre-establishment approvals, thereby reducing procedural burdens, accelerating business setup and creating a more conducive environment for investment and enterprise development in the State.

2. **Creating enabling environment for self-declaration and exemptions**

   The Bill facilitates the process of filing a Declaration of Intent by eligible enterprises to begin operations and exempting them from specific state-level inspections and clearances for a specified period; enabling them to establish and operate their business with ease.

3. **Speedier regulatory approvals**

   The Bill provides a defined timeline for grant of the Certificate of In-Principle Approval and introduces the concept of deemed approval where a decision of in-principle approval is not taken within the prescribed period.

4. **Moratorium period from Inspection**

   The Bill allows eligible enterprises a moratorium period of thirty-six months to obtain all necessary statutory approvals. The Bill restricts inspections and coercive measures during the moratorium period, except in specified cases based on serious complaints, unauthorised constructions, contravention land use regulations or matters concerning public safety, structural integrity and fire safety.

5. **Providing effective Grievance Redressal**

   The Bill establishes a framework for appeals and redressal of grievances to safeguard the interests of eligible enterprises and ensure accountability in decision-making. Facilitation and Grievance Redressal will be assigned to Nodal agencies at the State and District level.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

RAO NARBIR SINGH,
Industries & Commerce Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: DR. VIRENDER KUMAR DAHIYA,
The 31st August, 2026. Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As per provision made in the Clause 7 of the proposed the Haryana Right to Business Bill, 2026, an eligible enterprise intending to establish or expand its business in the State, shall furnish to the District Nodal Agency a declaration of intent, in such form and manner alongwith such fee, as may be prescribed for issuance of certificate of in-principle approval.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 21 of the proposed Bill empowers the State Government to frame Rules for carry out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of a normal character. Hence the memorandum regarding delegated Legislation as required under Rule 126 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या–24 एच.एल.ए.

हरियाणा कारबार का अधिकार विधेयक, 2026

हरियाणा राज्य में योग्य उद्‌यम के लिए कारबार की स्थापना और संचालन को सुगम बनाने हेतु समर्थ सह–प्रणाली के माध्यम से स्व–प्रमाणीकरण, छूट, त्वरित अनुमोदन, निरीक्षण करने और इससे संबंधित अथवा उसके अनुषंगिक मामलों के उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा कारबार का अधिकार अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएँ ।

(क) "अनुमोदन" से अभिप्राय है, योग्य उद्‌यम, जो विनिर्माण इकाई है, चाहे नया या विद्यमान हो, जिसका विस्तार हो रहा है, की स्थापना या का संचालन करने के सम्बन्ध में किसी राज्य विधि के अधीन अपेक्षित अभिस्वीकृति, अनापत्ति प्रमाणपत्र, सहमति, पंजीकरण, अनुमति, अनुज्ञप्ति और ऐसी अन्य समरूप लिखत, किसी भी नाम से ज्ञात हो और इसमें डीम्ड अनुमोदन या सैद्धान्तिक अनुमोदन भी शामिल है;

(ख) "सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र" से अभिप्राय है, धारा 9 के अधीन जिला नोडल अभिकरण द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन;

(ग) "सक्षम प्राधिकरण" से अभिप्राय है, राज्य सरकार का कोई विभाग या अभिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक निकाय, निगम या बोर्ड, शहरी विकास प्राधिकरण या किसी राज्य विधि द्वारा गठित या स्थापित अथवा राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोई अन्य प्राधिकरण या अभिकरण, जिसे राज्य में उद्‌यम की स्थापना और संचालन के लिए अनुमोदन प्रदान करने और जारी करने की शक्तियाँ अथवा उत्तरदायित्व सौंपा गया है;

(घ) "आशय की घोषणा" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनों हेतु किसी राज्य विधि के अधीन योग्य उद्‌यम द्वारा सुसंगत दस्तावेजों और अपेक्षित सूचना को प्रस्तुत करना;

(ङ) "डीम्ड अनुमोदन" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर दिया गया डीम्ड अनुमोदन;

(च) "योग्य उद्यम" से अभिप्राय है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम (जिसे, इसमें, इसके बाद एम.एस.एम.ई. के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), जो विनिर्माण इकाई है, चाहे नया या विद्यमान हो, जिसका विस्तार हो रहा है और भारत सरकार के उद्‌यम पोर्टल पर पंजीकृत है;

(छ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ज) "अधिस्थगन अवधि" से अभिप्राय है, सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि से छत्तीस मास की अवधि, जिसके दौरान न तो कोई निरीक्षण किया जाएगा और न ही किसी योग्य उद्‌यम के विरुद्ध कोई प्रपीड़क उपाय किया जाएगा;

(झ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ञ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ट) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(ठ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

3. हरियाणा उद्‌यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) की धारा 4 के अधीन गठित सशक्त कार्यकारी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु राज्य नोडल अभिकरण होगा। राज्य नोडल अभिकरण ।

4. हरियाणा उद्‌यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) की धारा 8 के अधीन गठित जिला स्तरीय समाशोधन समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु जिला नोडल अभिकरण होगा और राज्य नोडल अभिकरण के सम्पूर्ण अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। जिला नोडल अभिकरण ।

राज्य नोडल अभिकरण की शक्ति और कृत्य।

5. राज्य नोडल अभिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) जिला नोडल अभिकरण के सम्पूर्ण कृत्यों की निगरानी, पर्यवेक्षण और समीक्षा करना;

(ख) सक्षम प्राधिकरण के साथ समन्वय और सम्पर्क करना;

(ग) धारा 13 के अधीन दायर अपील पर निर्णय लेना;

(घ) शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना;

(ङ) कोई अन्य शक्ति तथा कृत्य, जो इसे सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

जिला नोडल अभिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

6. जिला नोडल अभिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) निवेश का विचार किए बिना, आशय की घोषणा की जाच करना और कार्यवाही करना;

(ख) नियत अवधि के भीतर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करना;

(ग) आशय की घोषणा, योग्य उद्‌यम को जारी किए गए सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र और डीम्ड अनुमोदन का रिकॉर्ड बनाए रखना;

(घ) शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य नोडल अभिकरण और सक्षम प्राधिकरण के साथ समन्वय और सम्पर्क करना;

(च) योग्य उद्‌यमकी स्वतः निगरानी करना, जिसे सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई करना;

(छ) कोई अन्य शक्ति और कृत्य, जो सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएं।

आशय की घोषणा करना ।

7. राज्य में अपने कारबार की स्थापना या उसका विस्तार करने के लिए आशयित योग्य उद्‌यम, जिला नोडल अभिकरण को ऐसे प्ररूप और ऐसी फीस के साथ रीति, जो विहित की जाए, में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा।

सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र।

8. (1) आशय की घोषणा की प्राप्ति पर, किसी योग्य उद्‌यम को ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित किए जाए, में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(2) सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा वैकल्पिक होगी और योग्य उद्‌यम किसी भी समय सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण से नियमित अनुमोदन लेने का चुनाव कर सकता है।

(3) सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र किसी योग्य उद्‌यम को, भूमि उपयोग को शासित करने वाली किसी राज्य विधि के अधीन विनिर्दिष्ट भूमि उपयोग या किसी भी शर्त के विचलन में, भूमि अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करने का हकदार नहीं बनाएगा।

सैद्धान्तिक अनुमोदन और डीम्ड अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करना ।

9. (1) आशय की घोषणा की प्राप्ति पर, जिला नोडल अभिकरण पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करेगा अथवा आशय की घोषणा अस्वीकार करेगा।

(2) यदि नियत अवधि के भीतर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता है, तो इसे हरियाणा उद्‌यम प्रोन्नति केन्द्र के उप–मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अग्रेषित किया जाएगा।

(3) हरियाणा उद्‌यम प्रोन्नति केन्द्र का उप–मुख्य कार्यकारी अधिकारी दस दिन की अवधि के भीतर आशय की घोषणा का अनुमोदन कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, जिसमें असफल रहने पर, उसे अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और जिला नोडल अभिकरण द्वारा डीम्ड अनुमोदन की तिथि से तीन दिन के भीतर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

अधिस्थगन अवधि के दौरान निरीक्षण ।

10. (1) किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, अधिस्थगन अवधि के दौरान ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षण किया जा सकता है:

परन्तु ऐसा निरीक्षण केवल सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण के मुखिया के आदेश से और जिला नोडल अभिकरण के अध्यक्ष को ऐसे निरीक्षण की पूर्व सूचना देते हुए लिखित में कारण लिपिबद्ध करने पर, ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो संयुक्त निदेशक की पदवीं से नीचे का न हो।

(2) सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण का मुखिया, लिखित में कारण लिपिबद्ध करते हुए स्वप्रेरणा से, भूमि उपयोग के उल्लंघनों, अप्राधिकृत निर्माणों या सार्वजनिक सुरक्षा, संरचनात्मक एकीकरण या अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का निरीक्षण करने का आदेश कर सकता है।

(3) निरीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण करने के बाद अड़तालीस घंटों के भीतर योग्य उद्‌यम और सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण को ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी और सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण लागू विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई प्रारम्भ करेगा।

11. अधिस्थगन अवधि के दौरान योग्य उद्यम, हरियाणा उद्‌यम प्रोन्नति केन्द्र के इन्वेस्ट हरियाणा एकल विंडो पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से सभी अपेक्षित अनुमोदनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगाः अपेक्षित अनुमोदन।

परन्तु योग्य उद्‌यम, उपरोक्त अधिस्थगन अवधि की समाप्ति से पूर्व पिछले छह मास के भीतर सुनिश्चित करेगा कि लम्बित सभी अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं।

12. (1) आशय की घोषणा में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध की उल्लंघना के मामले में, जिला नोडल अभिकरण योग्य उद्‌यम को सुनवाई का अवसर देने के बाद सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाण–पत्र का प्रतिसंहरण कर सकता है। अवहेलना, उल्लंघन और शास्ति।

(2) अनुमोदन के संबंध में लागू विधि के किसी भी उपबंध की उल्लंघना करने के मामले में, सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण, लागू विधि के अनुसार योग्य उद्‌यम पर शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

(3) जहाँ योग्य उद्‌यम अधिस्थगन अवधि के भीतर सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहता है, तो सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण, ऐसी अधिस्थगन अवधि की समाप्ति पर, लागू विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसे योग्य उद्‌यम के विरुद्ध प्रपीड़क उपायों सहित ऐसी कार्रवाई प्रारम्भ कर सकता है।

13. (1) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन पारित अस्वीकरण आदेश से व्यथित कोई योग्य उद्यम, आशय की घोषणा के अस्वीकरण की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य नोडल अभिकरण के सम्मुख अपील दायर कर सकता है; अपील।

परन्तु राज्य नोडल अधिकरण ऐसी अवधि के समाप्ति होने के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि इसे उस अवधि के भीतर दायर नहीं करने के पर्याप्त कारण थे।

(2) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पारित अस्वीकरण आदेश से व्यथित कोई योग्य उद्यम, आशय की घोषणा के अस्वीकरण की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर हरियाणा उद्‌यम प्रोन्नति केन्द्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सम्मुख अपील दायर कर सकता है;

परन्तु हरियाणा उद्‌यम प्रोन्नति केन्द्र का मुख्य–कार्यकारी अधिकारी ऐसी अवधि के समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि इसे उस अवधि के भीतर दायर नहीं करने के पर्याप्त कारण थे।

14. (1) धारा 10 की उपधारा (1) तथा (2) के उपबंधों के अनुसरण में की गई कार्रवाई के अध्यधीन, यदि इस अधिनियम के अधीन सैद्धान्तिक अनुमोदन का वैध प्रमाण–पत्र रखने वाला योग्य उद्यम, अधिस्थगन अवधि के दौरान प्रारम्भ की गई कार्रवाई से व्यथित है, तो योग्य उद्यम, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में जिला नोडल अभिकरण के सम्मुख शिकायत के निवारण के लिए आवेदन दायर कर सकता है। जिला नोडल अभिकरण तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी शिकायत का समाधान करेगा। शिकायत निवारण।

(2) यदि जिला नोडल अभिकरण उपधारा (1) के अधीन शिकायत का समाधान करने में असफल रहता है या समुचित कार्रवाई करने में असमर्थ होता है, तो शिकायत, राज्य नोडल अभिकरण को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अग्रेषित की जाएगी।

(3) राज्य नोडल अभिकरण, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर शिकायत विनिश्चित करेगा।

15. इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अनुमोदन की सूची और ऐसे अनुमोदन के लिए सम्बन्धित प्राधिकरण अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे। अनुमोदन की सूची।

16. सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में परिवर्धन या परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति ।

17. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य नोडल अभिकरण, जिला नोडल अभिकरण, सक्षम प्राधिकरण या इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले किसी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के निर्देशाधीन कार्य करने वाले किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी। सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

18. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कार्यरत या कार्य करने के लिए तात्पर्यित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा। लोक सेवक।

19. किसी अन्य राज्य विधि में दी गई असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा। अध्यारोही प्रभाव ।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति।

20. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन्असंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति ।

21. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखे जाएंगे।

अनुसूची

(देखिए, धारा 15 तथा 16)

अनुमोदनों की सूची

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकरण	अनुमोदन
1	नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	(i) औद्योगिक जोन में भूमि उपयोग परिवर्तन (ii) नगरीय क्षेत्र अधिनियम के अधीन इकाई की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र (iii) नियंत्रित/नगरीय क्षेत्र से बाहर आने वाली इकाई के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र (iv) भवन के नक्शे का अनुमोदन (सभी कम जोखिम वाले उद्योगों हेतु)
2	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	(i) नगरपालिका सीमा के भीतर औद्योगिक क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन (ii) भवन के नक्शे का अनुमोदन (सभी कम जोखिम वाले उद्योगों हेतु)
3	अग्निशमन विभाग	(i) श्वेत तथा हरित श्रेणी के उद्योगों के लिए अग्निशमन योजना (सभी कम जोखिम वाले उद्योगों हेतु) (ii) अग्निशमन सेवाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र (सभी कम जोखिम वाले उद्योगों हेतु)
4	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	(i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन स्थापना हेतु सहमति तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन स्थापना करने हेतु सहमति (औद्योगिक क्षेत्र के भीतर सभी श्वेत तथा हरित श्रेणी के उद्योगों तथा अतिरिक्त रूप से नारंगी श्रेणी के सभी उद्योगों हेतु) (ii) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन संचालन करने हेतु सहमति (औद्योगिक क्षेत्र के भीतर सभी श्वेत तथा हरित श्रेणी के उद्योगों तथा अतिरिक्त रूप से नारंगी श्रेणी के सभी उद्योगों हेतु)
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	(i) भवन के नक्शे का अनुमोदन (सभी कम जोखिम वाले उद्योगों हेतु) (ii) प्लिन्थ लेवल प्रमाण–पत्र जारी करना
6	श्रम विभाग	हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के अधीन दुकान का पंजीकरण

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा में व्यावसायिक उद्यमों की स्थापना और संचालन को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियामक ढाँचे के तहत उद्यमियों को संचालन शुरू करने से पहले विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों से अनेक अनुमोदन, लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ऐसे अनुमोदनों को अक्सर विभिन्न राज्य एजेंसियों द्वारा क्रमिक रूप से संसाधित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायों के लिए, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (डैडभ्) के लिए, लंबे समय तक विलंब और महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक बोझ उत्पन्न होता है, जिनके पास सामान्यतः सीमित वित्तीय और प्रशासनिक संसाधन होते हैं।

स्थापना से पहले सभी वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता ने राज्य में औद्योगिक विकास, उद्यमिता और नवाचार को बाधित किया है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, "कारबार का अधिकार" के सिद्धांत पर आधारित एक सुविधाजनक ढाँचा शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य लागू कानूनों, नियामक मानकों और सार्वजनिक सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनावश्यक प्रक्रियात्मक विलंब को कम करके व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देना है।

हरियाणा कारबार का अधिकार विधेयक, 2026 का उद्देश्य समयबद्ध, सैद्धांतिक पूर्व–स्थापना अनुमोदनों की एक प्रणाली प्रदान करना है, जो पात्र उद्यमों को निर्धारित शर्तों के अधीन व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू करने की अनुमति देगी, जबकि मूल अनुमोदनों की प्रक्रिया समानांतर रूप से जारी रहेगी।

हरियाणा कारबार का अधिकार विधेयक, 2026 का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना हैः

1. प्रक्रियात्मक बोझ को कम करके "कारबार करने में सुगमता" को बढ़ावा देना

विधेयक सरकार के "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसका उद्देश्य एक निवेशक–अनुकूल नियामक वातावरण को बढ़ावा देना है, जो उद्यमिता को प्रोत्साहित करे और कारबार करने में सुगमता को सुगम बनाए। इसमें पात्र उद्यमों (नए या विस्तार कर रहे विनिर्माण MSMEs) को एकमुश्त सैद्धांतिक पूर्व–स्थापना अनुमोदन, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOCs) प्रदान करने के लिए एक ढाँचे का प्रस्ताव है, जिससे वे लागू वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए शीघ्रता से संचालन शुरू कर सकें।

वर्तमान में, नियामक पारिस्थितिकी तंत्र नए उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश बाधाएँ प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसमें एक खंडित, बहु–एजेंसी अनुमोदन प्रक्रिया है, जिसके तहत उद्यमियों को कारबार स्थापित करने से पहले अनेक स्वीकृतियाँ और लाइसेंस प्राप्त करने पड़ते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विधेयक सैद्धांतिक पूर्व–स्थापना अनुमोदनों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था शुरू करता है, जिससे प्रक्रियात्मक बोझ कम होगा, कारबार की स्थापना में तेजी आएगी और राज्य में निवेश तथा उद्यम विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

2. स्व–घोषणा और छूट के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना

विधेयक पात्र उद्यमों द्वारा संचालन शुरू करने के लिए आशय की घोषणा दाखिल करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है और उन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट राज्य–स्तरीय निरीक्षणों और स्वीकृतियों से छूट प्रदान करता है; जिससे वे आसानी से अपना कारबार स्थापित और संचालित कर सकें।

3. त्वरित नियामक अनुमोदन

विधेयक सैद्धांतिक अनुमोदन प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए एक निर्धारित समय–सीमा प्रदान करता है और जहाँ निर्धारित अवधि के भीतर सैद्धांतिक अनुमोदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, वहाँ मानी गई स्वीकृति की अवधारणा प्रस्तुत करता है।

4. निरीक्षण से अधिस्थगन अवधि

विधेयक पात्र उद्यमों को सभी आवश्यक वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छत्तीस महीने की अधिस्थगन अवधि की अनुमति देता है। विधेयक अधिस्थगन अवधि के दौरान निरीक्षण और दंडात्मक उपायों को प्रतिबंधित करता है, सिवाय निर्दिष्ट मामलों के, जो गंभीर शिकायतों, अनधिकृत निर्माण, भूमि उपयोग विनियमों के उल्लंघन या सार्वजनिक सुरक्षा, संरचनात्मक अखंडता और अग्नि सुरक्षा से संबंधित मामलों पर आधारित हों।

5. प्रभावी शिकायत निवारण प्रदान करना

विधेयक पात्र उद्यमों के हितों की रक्षा करने और निर्णय लेने में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपील और शिकायत निवारण की एक व्यवस्था स्थापित करता है। सुविधा और शिकायत निवारण का दायित्व राज्य और जिला स्तर पर नोडल एजेंसियों को सौंपा जाएगा।

विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

राव नरबीर सिंह,
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ः
दिनांक 31 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा कारबार का अधिकार विधेयक, 2026' की खण्ड 7 में किए गए प्रावधान के अनुसार राज्य में अपने कारबार की स्थापना या उसका विस्तार करने के लिए आशयित योग्य उद्यम, जिला नोडल अभिकरण को ऐसे प्ररूप और ऐसी फीस के साथ रीति, जो विहित की जाए, में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा।

प्रत्यायुक्त विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 21 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियों दी गई है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन एक सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन है।

12839—H.V.S.—H.G.P., Pkl.